

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 456 / 2010 / अलवर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
बहरोड़, वृत्त-शाहजहांपुर, अलवर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स भगवती सीमेन्ट प्रा० लिमिटेड, बहरोड़.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 20 / 01 / 2014

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 100 / उपा / अपील्स / अल / सीएसटी / 09-10 / 09 में पारित किये गये आदेश दिनांक 4.9.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्त-भिवाड़ी (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 29(7) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 13.9.99 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी कम्पनी मिनी सीमेन्ट प्लाण्ट से सीमेन्ट का निर्माण कर विक्रय करती है। इकाई को जिला स्तरीय छानबीन समिति ने बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1987 (जिसे आगे 'योजना-1987' कहा जायेगा) के तहत लघु इकाई को विहित लाभ कुल योग्य पूंजी निवेश का 100 प्रतिशत करमुक्ति का प्रमाण-पत्र जारी किया हुआ है। आलौच्य अवधि वर्ष 1996-97 में कर निर्धारण अधिकारी ने माना कि योजना-1987 के क्लॉज-4(ए) के अनुसार इकाई वर्टिकल क्लिन द्वारा सीमेन्ट की उत्पादन क्षमता 300 टन प्रतिदिन या 9900 टन वार्षिक से सीमेन्ट निर्माण करती है, जो कि मिनी सीमेन्ट प्लाण्ट की श्रेणी में आता है, इसलिए योजना-1987 के खण्ड (4) के प्रथम परन्तुक अनुसार लाभ कर दायित्व के 50 प्रतिशत तक ही उपलब्ध है, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने माननीय राजस्थान कराधान अधिकरण के मैसर्स भटनागर सीमेन्ट कम्पनी प्रा० लि०

लगातार.....2

बनाम राजस्थान राज्य व अन्य की एस.एल.पी. नम्बर 94/1996 प्रकरण में पारित किये गये निर्णय दिनांक 19.7.96 अनुसार कुल अन्तर्राज्यीय विक्रय रूपये 40.00 लाख पर 50 प्रतिशत योजना-1987 का लाभ स्वीकार कर शेष पर कर रूपये 3,20,000/- तथा त्रैमासिक/वार्षिक बिक्री विवरण प्रपत्र देरी से पेश करने के लिये धारा 61 के तहत शास्ति रूपये 2,880/- आरोपित करते हुए कर निर्धारण आदेश दिनांक 13.9.99 को पारित किया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील किये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने माननीय राजस्थान कर बोर्ड के अपील संख्या 617, 618, 619, 620, 621/1999 निर्णय दिनांक 27.1.2003 का अनुसरण करते हुए कर को अपास्त किया, जबकि अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को यथावत रखकर इस सम्बन्ध में अपील अस्वीकार की। अपीलीय आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी इकाई वर्टिकल क्लिन द्वारा सीमेन्ट का निर्माण करने वाली एक मिनी सीमेन्ट प्लांट है, जिस पर योजना-1987 के क्लॉज-4(ए) अनुसार तथा खण्ड (4) के प्रथम परन्तुक अनुसार कर दायित्व का 50 प्रतिशत लाभ ले सकता है। अपीलीय अधिकारी ने इस तथ्य पर गौर नहीं कर अपील स्वीकार कर विधिक भूल की है। अतः अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।


प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण माननीय राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय खण्डपीठ के अपील संख्या 429/2003/अलवर वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम गुंजन सीमेन्ट प्रा० लि० अलवर अपील संख्या 431-434/2003, 438-443/2003/अलवर वाणिज्यिक कर अधिकारी, भिवाड़ी बनाम गौरी सीमेन्ट प्रा० लि० अलवर में पारित निर्णय दिनांक 25.8.2003 पूर्णतया आच्छादित है, जिसमें सक्षम छानबीन समिति द्वारा इकाईयों को लघु इकाई होने के आधार पर योजना-1987 के तहत 100 प्रतिशत कर मुक्ति हेतु प्रमाण-पत्र जारी किये हैं, लेकिन कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जिला स्तरीय छानबीन समिति के प्रमाण-पत्रों के बिना संशोधित कराये स्वयं ही योजना-1987 के क्लॉज-4(ए) तथा खण्ड (4) के प्रथम परन्तुक के आधार पर 50 प्रतिशत कर मुक्ति तथा शेष पर करारोपण किया गया, जिसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (1995) 99 एस.टी.सी. 584 मैसर्स लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज बनाम राजस्थान सरकार के अनुसरण में अपास्त किया

है। प्रस्तुत प्रकरण में भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सक्षम छानबीन समिति द्वारा जारी पात्रता प्रमाण-पत्र में बिना संशोधित कराये स्वयं ही उक्त योजना-1987 के प्रावधान के तहत करारोपण किया है, जिसे अपास्त कर अपीलीय अधिकारी ने कोई त्रुटि नहीं की है। अतः अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का अध्ययन किया गया। माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ ने उक्त उद्धरित निर्णय में विवादित बिन्दु पर निर्णय दिया है कि सक्षम छानबीन समिति ने जब इकाई का लघु इकाई के रूप में योजना-1987 के तहत 100 प्रतिशत कर मुक्ति का लाभ स्वीकृत किया है तो ऐसे प्रमाण-पत्र को संशोधित कराये बिना कर निर्धारण अधिकारी स्वयं अपने स्तर पर स्वीकृत लाभ को नहीं घटा सकता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी 99 एस.टी.सी. 584 में अभिनिर्णीत किया है कि छानबीन समिति के अधिकार का कर निर्धारण अधिकारी प्रयोग नहीं कर सकता, इसलिए इकाई का लाभ कम करने हेतु कर निर्धारण अधिकारी सक्षम नहीं था। इसलिए आरोपित कर अपास्तनीय है। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा छानबीन समिति के प्रमाण-पत्र को संशोधित कराये जाने सम्बन्धी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है एवं न ही कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली से परिलक्षित होता है। प्रस्तुत प्रकरण माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ के निर्णय दिनांक 25.8.2003 से पूर्णतया आच्छादित है, अतः उद्धरित निर्णयों के आलोक में जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा जारी पात्रता प्रमाण-पत्र में संशोधन कराये बिना कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर अविधिक होने के कारण अपीलीय अधिकारी ने इसे अपास्त कर कोई विधिक भूल कारित नहीं की है, इसलिए अपीलीय आदेश में हस्तक्षेप करना विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 4.9.2009 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(ज. आर. लोहिया)
सदस्य
20/01/14